UDAIPUR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

(Apex body of Trade, Industry, Mining, Education & Tourism of Southern Rajasthan)

UCCI e-News Letter

20.09.2017

यूसीसीआई में ई–वे बिल पर कार्यशाला का आयोजन

उदयपुर, 20 सितम्बर 2017 | उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा यूसीसीआई भवन के पायरोटेक टेम्पसन्स सभागार में वाणिज्य कर विभाग के साझे में जीएसटी के अन्तर्गत प्रस्तावित ई–वे बिल नियमों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा जीएसटी कर प्रणाली के तहत ई–वे बिल प्रक्रिया के विषय में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई।

अध्यक्ष श्री हंसराज चौधरी ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों एवं कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि यूसीसीआई का यह प्रयास है कि संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र के व्यवसायियों को जीएसटी कर प्रणाली के अनुरूप अपने

व्यवसाय को ढालने हेतु सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सक्षम बनाया जाये। श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी लागू हुए लगभग तीन माह की अवधि पूर्ण होने को आई है। जीएसटी कर प्रणाली से व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका आंकलन किया जाना जरूरी है। श्री हंसराज चौधरी ने दस व्यापारी खरीददार एवं विक्रेता के जोड़े बनाकर जीएसटी कर प्रणाली के तहत उनके व्यावहारिक अनुभव का अध्ययन किये जाने का भी सुझाव दिया।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आशीष छाबड़ा ने ई–वे बिल प्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करने हेतु वाणिज्य कर विभाग की उपायुक्त श्रीमती नीतू भारद्वाज, सहायक आयुक्त श्री संजय विजय एवं सहायक आयुक्त श्री रविन्द्र जैन को आमंत्रित किया।

तकनीकी सत्र के दौरान ई–वे बिल प्रणाली के संदर्भ में जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त श्री रविन्द्र जैन ने जानकारी दी कि विभिन्न उद्योग संघों एवं व्यापारिक एसोसिएशनों के सुझाव पर ही ई–वे बिल प्रणाली लागू की जा रही है। ई–वे बिल प्रणाली द्वारा बिना बिल के माल सप्लाई करने वाले व्यापारियों पर अंकुश लगाना है। किन्तु ई–वे बिल जारी होने का मतलब यह नहीं है कि माल की सप्लाई निश्चित रूप से हो गई। खरीददार द्वारा माल रिजेक्ट किया जा सकता है। श्री रविन्द्र जैन ने ई–वे बिल के संदर्भ में निम्नानुसार जानकारी दी :

- कोई भी रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटी पोर्टल पर जाकर ई–वे बिल जनरेट कर सकता है।
- छोटी सप्लाई के लिये ई–वे बिल आवश्यक नहीं है।
- 50 हजार रूपये से अधिक के कन्साईनमेंट के परिवहन के लिये ही ई–वे बिल आवश्यक है।
- यदि ट्रांसपोर्टर कई व्यापारियों का माल एक साथ परिवहन कर रहा है तो मास्टर चालान में सभी माल के ई–वे बिल नं. अंकित करके परिवहन कर सकता है।
- ई–वे बिल जनरेट किये जाने के 24 घंटे में 100 किलोमीटर तक माल का परिवहन किया जा सकता है। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिये पांच दिन तक का समय एक मुश्त प्रदान किया जा सकता है। ई–वे बिल को बाद में भी आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है।
- 24 घंटे की अवधि में गलत जनरेट किये गये ई–वे बिल को निरस्त किये जाने का प्रावधान है।
- जिस खरीददार के नाम से ई–वे बिल जनरेट किया गया है, उक्त व्यापारी को पोर्टल के माध्यम से संदेश प्राप्त हो जायेगा। 74 घंटे के भीतर खरीददार व्यापारी उक्त ई–वे बिल को स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकता है।
- माल परिवहन के दौरान एक बार किसी राज्य में ई–वे बिल को चैक कर लिया गया है

तो कर विभाग द्वारा पुनः वाहन को रोककर चैकिंग विशेष परिस्थिति में ही की जायेगी।

- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये विभाग के अधिकारियों का इस प्रणाली में कम से कम दखल रहेगा। अधिकांश चैकिंग ऑन लाईन प्रणाली के माध्यम से की जायेगी।
- ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, एसएमएस के माध्यम से विभाग द्वारा ई–वे बिल नं. जारी करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- 154 आईटम्स की सूचि विभाग द्वारा जारी की गई है, जिनके परिवहन के लिये ई–वे बिल आवश्यक नहीं है।
- अपंजीकृत डीलर से माल खरीदने पर ई–वे बिल आवश्यक न होकर वैकल्पिक है।
- चालान पर माल भेजने पर भी ई–वे बिल जरूरी है।

''जीएसटी कर प्रणाली के तहत ई–वे बिल प्रक्रिया में खरीददार व्यापारी द्वारा माल रिजेक्ट कर देने पर क्या होगा ? रास्ते में वाहन के खराब हो जाने पर दूसरे वाहन से माल भेजने की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनानी होगी ? उदयपुर से अगरतल्ला माल भेजने में 60 दिन लगते है तथा 3 अथवा 4 ट्रांसपोर्टर बदलने पड़ते है, ऐसी स्थिति में ई–वे बिल के तहत क्या प्रक्रिया अपनानी होगी ? माल का निर्यात किये जाने की स्थिति में ई–वे बिल किसके नाम से जारी होगा ? रेलवे से माल भेजने पर ई–वे बिल हेतु क्या प्रक्रिया अपनानी होगी ?''

उपरोक्त प्रश्न यूसीसीआई में आयोजित कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से पूछे गये।

प्रश्नोत्तर काल के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा रखे गये प्रश्नों का वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया।

सप्लायर व्यापारी द्वारा खरीददार व्यापारी का मोबाईल नं. गलत फीड कर दिये जाने के प्रश्न के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि जीएसटी पोर्टल पर जाकर खरीददार व्यापारी का जीएसटीएन नं. फीड किये जाने पर ही ई–वे बिल जनरेट होगा।

कार्यशाला में औद्योगिक इकाईयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जुड़े उद्यमियों एवं व्यावसायियों, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, लेखा विभाग से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों एवं लॉजिस्टिक्स व्यवसाय से जुड़े सेवा प्रदाताओं सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के अन्त में उपाध्यक्ष श्री रमेश सिंघवी ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों तथा कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।